पक्षकारान वकील की बहस पर गौर किया व प्रार्थनापत्र का परीक्षण किया गया तो प्रार्थी अपने बुजुर्गों के समय से वादग्रस्त भूमि में अपने निवास व पशुओं को बांधने हेतु बाड़ा बनाकर रह रहा है। जिसे अप्रार्थी-गण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को घर से बेदखल कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा दावे में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 के जवाब पेश करने तक उभयपक्ष को पाबंद किया जाना उचित समझते है। ताकि मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे। अतः उभयपक्ष प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 का जवाब पेश करने तक या आगामी तारीख तक पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खनं. 462/818 व 462/819 किता-2 रकबा 0.76 है० वाके ग्राम भाड़ल्यास तह० चाकसू के राजस्व रिकॉर्ड व मौके यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थनापत्र दिनांक 27/9/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

27/9/23 पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. है। जवाब प्रा. पत्र पेश हुआ, जो संलग्न दावा वादी प्रा. पत्र आदेश 7(11) का स्वीकार होने से खारिज किया जा चुका है। दावा वादी खारिज होने से उक्त प्रा. पत्र को चलाए रखने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रा. पत्र प्रार्थी का 2/2 का खारिज किया जाता है। प्रा. पत्र खारिज किए जाने से न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 8/9/23 का प्रभावहीन (शून्य) होगया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)